न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 48/2020
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. कालु आत्मज हीरा तेली निवासी अड़सीपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थी

बनाम

1. गेन्दीबाई पत्नि हीरा तेली
2. चांदीबाई पुत्री हीरा तेली
3. धनी बाई पुत्री हीरा तेली
4. लदु आत्मज हीरा तेली
   सर्व निवासी अड़सीपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
5. देवीलाल आत्मज दलीचन्द भील
6. महताबी बाई पत्नि परथु भील
7. देऊ पुत्री दलीचन्द भील
8. रंगलाल आत्मज उदयराम भील
9. मोहन आत्मज नाथु भील
10. नंदराम आत्मज नारू भील
    सर्व निवासी भीलखेड़ा , अड़सीपुरा तहसील सहाड़ा
11. बाली पुत्री परथु पत्नि गोपी भील निवासी सेणुंदा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
12. लादीदेवी पुत्री परथु पत्नि नंदराम भील निवासी नयाखेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
13. पुष्पादेवी पुत्री परथु पत्नि लोभीराम भील निवासी टहुंका तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
14. सोहनीदेवी पुत्री परथु पत्नि रोशन भील निवासी सालेरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

——विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीः– श्री फतेहलाल लौहार
अधिवक्ता विपक्षीगणः–........................

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः–31.07.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम अड़सीपुरा पटवार हल्का गोडखेड़ा तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या एक लगायत चार के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 1807 रकबा 0.05 हे0, 1808 रकबा 0.20 हे0, 1809 रकबा 0.26 हे0 कुल किता 03 रकबा 0.51 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 76 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :– 48/2020
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 10 एवं 14 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। एवं विपक्षी संख्या 11, 12, 13 के विरूद्ध प्रार्थी अधिवक्ता ने कोई दाद नहीं चाही। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम अड़सीपुरा पटवार हल्का चीड़खेड़ा तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या एक लगायत चार के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 1807 रकबा 0.05 हे0, 1808 रकबा 0.20 हे0, 1809 रकबा 0.26 हे0 कुल किता 03 रकबा 0.51 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 76 पर स्थित हैं। भूमियों का बरामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीया अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2020.08.04 16:40:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: